यालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ल संख्या:– 55/2014 निर्णय दिनांक :–24.02.2021

नी दावा :

बाई पुत्री मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीया–

बनाम

1. कालू पुत्र मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/1 सोहनी पत्नि कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/2 जगदीश पुत्र कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/3 जगदीशी पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/4 कमला पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/5 संतरा पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

1/6 मनभर पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2 भैरू पुत्र मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3 तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीया

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6

<u>दावा उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज,तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 स्वर्गीय मूली लाल पुत्र नारायण कोम जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक के विधिक उत्तराधिकारी है स्वर्गीय मूली लाल जी के एक लडकी नूरका नाम की भी पेदा हुई थी किन्तु उसकी मृत्यु हो चूकी है। स्वर्गीय मूली लाल जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा नं0 333 रकबा 7 बिघा 18 बीस्वा हाल खसरा नं0 743 रकबा 1.21है0 साबिक खसरा नं0 337 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा हाल खसरा नं0 753 रकबा 1.71है0 साबिक खसरा नं0 384 रकबा 4 बीस्वा गे0मु0 बाडा हाल खसरा नं0 1213 रकबा 0.02है0 साबिक खसरा नं0 289 रकबा 4बीघा 17 बीस्वा, हाल खसरा नं0289 रकबा 0.66है0 साबिक खसरा नं0 587 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा, हाल खसरा नं0 489 रकबा 2.48है0

खसरा नं0 869 रकबा 2 बीघा 14 बीस्वा हाल खसरा नं0 1196 रकबा 0.43है0, व खसरा नं0 902 रकबा 4 बीघा 15 बीस्वा हाल खसरा नं0 1197 0.71 है0 कुल किता कुल रकबा 44 बीघा 17 बीस्वा वाके ग्राम बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थ है। उक्त भूमि मे वादीया का 1/3 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का उक्त भूमि 2/3 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 सगे भाई बहिन है तथा स्वर्गीय मूली लाल जी के उत्तराधिकारी है। स्वर्गीय मूली लाल जी की मृत्यु होने के पश्चात उनका फोती का जो नामान्तरकरण भरा गया है उसमे राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीया का नाम नामान्तरकरण मे अकिंत नहीं करके उक्त नामान्तरकरण सं0 5 दिनांक 02.07.90 को नायब तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा दिनांक 13.07.90 को तस्दीक किया गया है तथा उक्त फोती के नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम स्वर्गीय मूली लाल जी की उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी अकिंत की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। तथा स्वर्गीय मूली लाल जी की पुत्री वादीया पुष्पा बाई का नाम उसके जीवित होते हुए भी नामान्तकरण मे अकिंत नही करके राजस्व कर्मचारियो ने भारी त्रुटि की है। तथा वादीया को उसके हिस्सा 1/3 से वचिंत कर दिया है। वादीया स्वर्गीय मूली लाल जी की पुत्री होने के कारण उक्त भूमि मे उसका 1/3 हिस्सा है जिसको वह न्यायालय श्रीमान से अपनी खातेदारी की उदघोषणा करवाने की अधिकारी है। वादीया का वाद पत्र के चरण नं1 मे अकिंत आराजीयात के हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे एवं तदुनुसार राजस्व रिकार्ड उसका नाम बतोर खातेदार अकिंत किया जावे। खातेदारी उदघोषित होने के पश्चात उक्त भूमि का बटवारा किया जाकर वाादीया का हिस्सा 1/3 को अलग करके अलग से खाता राजस्व रिकार्ड मे कायम किया जावे। राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से वादीया का नाम खातेदारी मे अकिंत नही करने के कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादीया के हितो को चेलेन्ज करने लगे है। तथा वादीया को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने मे मजाहमत पेदा करते है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 की जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्ध किया जावे कि व स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर अथवा पारीवारिक सदस्यो के वादीया को अपने हिस्सा 1/3 की भूमि को काश्त करने मे कोई मजाहमत पेदा नही करे और ना ही उक्त भूमि अथवा उसके किसी हिस्से को दान व बक्सीस विक्रय आदि करके स्थानान्तरित नही करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबालिया जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—वाद पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 4 स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा वादिया के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत नही की जा रही है। वाद पत्र का चरण

5, 6, 7, 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वादिया द्वारा चाही गयी याचना स्वीकार है। वादिया, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की बहन है। वादीया का वाद डिक्री कर दिया जावे तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद डिक्री कर दिया जावे तो इसमे मुझे को आपत्ति नही होगी ।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादीया ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादीया पुष्पा बाई पुत्री मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ तहसील दूनी पी. डब्ल्यू–2 चौथमल पुत्र सुखदेव जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी बालापुरा तहसील उनियारा के पेश किये।

वादीया ने अपने वाद के समर्थन मे साक्ष्य करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2067–70 प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4 व 5 जमाबन्दी सम्वत 2051–54 प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2055–58 प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 प्रदर्श–8 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–9 नकल नामान्तकरण पेश किये है।

वाद में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इकबालिया जवाब व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया को भूमि विरासत से प्राप्त हुई है जिसके लिए वादीया ने दस्तावेज पेश किये है और प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीया के पक्ष में इकबालिया जवाब पेश किया है। वादीया का इस विरासत की भूमि में 1/3 हिस्सा बनता है। वादीया का वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के कॉलम संख्या 5 में मूलीलाल वल्द नारायण कोम जाट सा. व कॉलम 6 में साबिक ख. नं. दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–8 से मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में वाद वर्णित साबिक खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर का मिलान सही है। प्रदर्श–9 नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बालागढ में मूली लाल खातेदार के फौत होने के बाद विरासत का नामान्तकरण कालू व भैरू के नाम खोला गया। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2067–70, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2051–54, प्रदर्श–5 सम्वत 2051–54 व प्रदर्श–6 2055–58 में कालू, भैरू सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया के वाद अनुसार मूली लाल के दो पुत्र के अलावा एक पुत्री पुष्पा बाई है जिसका नाम मूलीलाल के फौत होने के बाद विरासत के नामान्तकरण में नहीं आया। प्रतिवादी संख्या 2 ने इस बाबत इकबालिया जवाब पेश किया है और शेष प्रतिवादीगण के

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से जाहिर है कि शेष प्रतिवादीगण की सहमति है। अतः उक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है वादीया मूलीलाल की पुत्री है इसका वाद वर्णित आराजी में विरासत के नामान्तकरण में नाम अंकित नहीं होने से वह खातेदारी अधिकार से वंचित रह गई। अतः वाद वर्णित आराजी में वादीया को 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 व 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हिस्से की 1/3 भूमि में वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त किसी प्रकार की मजामहत नहीं करे। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम की धारा 53 के प्रावधानुसार भूमि विभाजन हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.04.2021 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

....मुकाम

...लत 6व 7 जाब्ता दीवानी)

...लत उपखण्ड अधिकारी..

...अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

...नी दावा :

...बाई पुत्री मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 —वादीया—

बनाम

1. कालू पुत्र मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/1 सोहनी पत्नि कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/2 जगदीश पुत्र कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/3 जगदीशी पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/4 कमला पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/5 संतरा पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
1/6 मनभर पुत्री कालू जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2 भैरू पुत्र मूलीलाल जाति जाट निवासी बालागढ़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0 — प्रतिवादीगण —
3 तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

<u>वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 11 सन् 2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू कुलदीप शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद वर्णित आराजी में वादीया को 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 व 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हिस्से की 1/3 भूमि में वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त किसी प्रकार की मजामहत नहीं करे। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम की धारा 53 के प्रावधानुसार भूमि विभाजन हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.04.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
गवाह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।